

09/07/13

14 फारम संख्या-5621

न्यायालय भूमि सुधार उप-समाहर्ता सदर दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख इस्तक, 1941 का नियम 129)

भूमि-विवाद संख्या 36/13-4 सन् 2013
श्री संजय कुमार चौधरी बनाम श्री अंशुमान ईशर

आदेश की संख्या

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

संजय कुमार चौधरी पं- धरनीधर चौधरी 11/5/13
 ग्राम - चन्दौली, थाना - विशनपुर, जिला - समस्तीपुर 23-5-13.
 का वाद-पत्र जिला जन शिकायत पत्रांक - 263 04/06/13
 दिनांक 18.03.13 के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय 12/06/13
 जनता दरबार से प्राप्त परिवार-पत्र अन सुचित 22/06/13
 होकर प्राप्त हुआ है। 1-7-13.
 परिवार के परिवार-पत्र के 06/07/13
 अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि 11/07/13
 रकबा नं० - 105, 106, 110 (पु०) रकबा 14 क० 8 ख० 23/07/13
 को विपक्षीयता करना चाह रहा है जिसके 02/08/13
 लेकर विवाद विद्यमान है।
 अतः परिवार पत्र के अवलोकन से 14/08/13
 वाद को प्रतिग्रहित किया जाता है। 29-8-13
 12-9-13.

पक्षकार को सूचना निगत करें।

अभिलेख दिनांक 25.04.13 को रखें।

लेखापित्त 1
मु० सु० उप० समा० 11/07/13

भूमि सुधार उप-समाहर्ता,
सदर दरभंगा। 11/07/13

18/4/13 वाही-
रुपही | अं०

पुनः वाही की ५ कां २२०

२०२०३५०१००

25/04/13 वाही
प्रतिवाही | अं०
निमांक ०५१५

२

4-5-13 वाही की डाहरी
प्रतिवाही की डाहरी | अं०

२३/०५

१

23/05/13 वाही की शाखरी
प्रतिवाही की शाखरी | अं०

पुन दिनांक - 4-6-13.

✓

04/06/13 वाही
प्रतिवाही | अं०

१२/०६

२

12-6-13 वाही की डाहरी
प्रतिवाही की डाहरी | अं०

२५/०६


२

की संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित
22/06/13	वाही की शाखी प्रतिवाही की शाखी <i>वद-क</i> 01/07	
1.7.13	वादी को हाजिरी नही है विपक्षी को हाजिरी नही है। अभिलेख दिनांक 06/07/13 <i>06/07/13</i> मूकसु 30 समाप्त	
06/07/13	वाही की शाखी नही है। विपक्षी - अनुपस्थित दुनः दिनांक - 11.7.13 को रखे। <i>06/07/13</i> मूकसु 30 समाप्त	
11/07/13	वाही की हाजिरी नही है। विपक्षी अनुपस्थित है। अभिलेख दिनांक 23/07/13	
23/07/13	वाही की हाजिरी नही है। विपक्षी अनुपस्थित है। अभिलेख दिनांक 02/08/13	मूकसु 30 समाप्त

मूकसु 30 समाप्त

02/08/13 वाही अनुपस्थित
विपक्षी अनुपस्थित

अभिलेख के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि वाही की वाह के अग्रसारण में कोई अतिरिक्त नहीं है। वाही यदि अगली तिथि को उपस्थित नहीं होते हैं तो वाह की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी
अभिलेख दिनांक 14/08/13 को रखें।


02/08/13
शु. सु. उप. समी.

14.8.13 उपपक्ष अनु.।
पुनः रिनाड - 10.9.13 को रखें।

शु. सु. उप. समी.

10.9.13 उपपक्ष अनु.।
पुनः रिनाड - 26.10.13 को रखें।


शु. सु. उप. समी.

26.10.13 उपपक्ष अनु.।
पुनः रिनाड 16.11.13 को रखें।

शु. सु. उप. समी.

16.11.13 उपपक्ष अनु.
पुनः रिनाड 6.12.13 को रखें।

शु. सु. उप. समी.

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित
6/12/13	<p>उमयपत्र अनुठ</p> <p>वादी को सुनना रिफा आंशुम है। उसके बाद भी व लगावाइर अनुपरिगत है। उससे यह सात होता है कि वादी को बाद के निरतार में अनिलय नही है।</p> <p>अतएव उस वाद को कार्रवाई की (यदि- रिफा जाना है।</p> <p style="text-align: right;">  6/12/13 इति- गुण 34-1/11/13 स.स. 1/11/13 </p>	